# CHHITAKHUDARI MEDIUM IRRIGATION PROJECT

## FOREST CASE (STAGE – II) COMPLIANCE REPORT

| S.No. | Conditions / Queries Raised | Compliances | Attachments |
|---|---|---|---|
| 1 | Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged. | Agreed. Undertaking enclosed. | Attached as Annexure – 1 |
| 2 | Calculated area of Compensatory Afforestation on Non-Forest Land is found as 66.18ha instead of 69.555ha. The clarification is needed for the same. | Updated KML files of Kh 175 & Kh 249 having area 31.16ha & 40.00ha respectively (total area 71.16ha) are uploaded on the portal. | |
| 3 | As depicted through High Resolution Google Earth satellite imagery, some agriculture patches are visible in the proposed CA site having Khasra No. 249. These patches shall be handed over after removing the encroachment. | Possession of CA land after removing the encroachment, handed over by Tehsildar, Kundam to Forest Deptt. Vide Letter No. 196/Prava/Teh/2020, dtd. 10.06.2020. | Attached as Annexure – 2 |
| 4 | The whole CA land shall be fenced by the User Agency before handing over to the Forest Department at project cost. | Payment of Rs. 6812990 made vide allotment Id 2000879592, dtd. 13/01/2021 against the demand note received from Forest Department. Letter no. DM/6474/ dtd. 09.12.2020. | Attached as Annexure – 3 |
| 5 | Some of the trees should be retained for perching of birds. | Related with forest department. | |
| 6 | Compensatory Afforestation: | | |
| a | The Compensatory Afforestation shall be taken up by the Forest Department over 69.555 Ha. Non-forest land / degraded forest land (Compartment no./ Khasra No. 249, 175 Village-Kevlari, Tauri Tehsil Kundam, District Jabalpur) at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided. | Agreed.<br>Plantation work is to be done by Forest Department. | |
| b | The non-forest land proposed for CA shall be transferred and mutated in the name of Forest department and notified as RF/PF prior to Stage-II approval. A copy of the original notification declaring the non-forest land under Section 4 or Section 29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant section of the State Forest Act as the case may be, will be submitted by the State Government prior to Stage-II approval. | 1. Possession of CA land, ie. Kh 175 & Kh 249 having 31.16ha & 40.97ha respectively given by Tehsildar, Kundam to Forest Deptt. Vide Letter No. 196/Prava/Teh/2020, dtd. 10.06.2020.<br>2. Land Transfer order given vide Letter no. 3717/Pravaa. Collec./2018/07.12.2018. | Attached as Annexure – 4 |

Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
JABALPUR (M. P.)

Scanned with CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | The cost of Compensatory Afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. | The technically sanctioned amount of CAT plan has been deposited online in CAMPA funds. | Attached as Annexure – 5 |
| 8 | The State Government shall submit a certificate, that site for CA is suitable and free from all encroachments and other encumbrances, under the signature not below the below the rank of Nodal Officer (FCA) in the State Government. | Related with forest department. | |
| 9 | The land identified for the purpose of CA shall be clearly depicted on a survey of India toposheet of 1 : 50,000 scale. | Toposheet enclosed. | Attached as Annexure – 6 |
| 10 | Net Present Value (NPV): | | |
| a) | The State Government shall charge the Net Present Value(NPV) for the 69.555 ha. Forest area to be diverted under the proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003 as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard. | 1. Rs 28091130 for 64.135ha (Mandla) paid vide UTR No. SBIN119234702614<br>2. Rs 25966120 for 5.42ha (Jbp) paid vide UTR No. SBIN120189185511 | Attached as Annexure – 7 |
| b) | The additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect. | Agreed. Undertaking enclosed. | Attached as Annexure -8 |
| 11 | The cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. | Not applicable. Supporting order from Govt. of MP enclosed. | Attached as Annexure – 9 |

Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
JABALPUR (M. P.)

Scanned with CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | The Copy of approved Catchment Area Treatment (CAT) Plan shall be submitted in accordance to para no. 4.8 (i) of Forest (Conservation) Act, 1980 Handbook, if applicable; | The technically sanctioned amount of CAT plan has been deposited online in CAMPA funds. | Attached as Annexure – 10 |
| 13 | The State Government must ensure that the user agency shall implement the R&R plan as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work. The said R&R Plan will be monitored by the State Government / Regional Office of MoEF & CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones. | Agreed. Undertaking enclosed. | Attached as Annexure – 11 |
| 14 | The State Government shall maintain the character of the projects as an irrigation project and to ensure continued benefit to the farmers in the command area, no more diversion of water from the project for industrial projects will be permitted in future. | Agreed. Undertaking enclosed. | Attached as Annexure – 12 |
| 15 | The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. | Prescribed certificates issued by District Collector of Mandla & Jabalpur are attached. | Attached as Annexure – 13 |
| 16 | No labour camp/huts shall be established on the forest land. | Agreed. Undertaking enclosed. | Attached as Annexure – 14 |
| 17 | The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person. | Agreed. Undertaking enclosed. | Attached as Annexure – 15 |
| 18 | All the funds received from the User Agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in) | Agreed. All payments have been done online through e-portal. | |
| 19 | The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in) | Agreed. | |
| 20 | Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife, subject to approval of competent authority. | Agreed. Undertaking enclosed. | Attached as Annexure – 16 |

Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
JABALPUR (M. P.)

Scanned with CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | The user agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions to the State Government, concerned Regional Office and this Ministry by the end of March of every year regularly; and | Agreed. Undertaking enclosed. | Attached as Annexure – 17 |
| 22 | The user agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Regulations, Guidelines, relevant Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal (NGT) order (s), if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project. | Agreed. Undertaking enclosed. | Attached as Annexure – 18 |

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur

Scanned with CamScanner

# Annexure - 1

## Condition - 1

Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ जल संसाधन विभाग अंतर्गत छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना, हिरण जल संसाधन संभाग, जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur

Annexure - 2

# कार्यालय तहसीलदार कुण्डम जिला जबलपुर(म.प्र.)

क्रमांक / /प्रवा./तह./2020 कुण्डम दिनांक– 10/06/2020

**प्रति,**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम जिला जबलपुर,

**विषय** :– वन परिक्षेत्र कुण्डम के अंतर्गत छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के डुब क्षेत्र में आने वाली 69.555 हे. वन भूमि के एवज में ग्राम किवलारी प.ह.नं. 18 स्थित भूमि ख.नं. 175 रकवा 31.16 हे. एवं ख.नं. 249 रकवा 40.97 का सीमांकन उपरांत कब्जा सौपने बावद्।

**संदर्भ** :– न्यायालय अपर कलेक्टर (ग्रामीण) के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ–19(3)/2017–18, संशोधित आदेश क्रमांक/3717/प्र.वा.अ. कलेक्टर/2018 जबलपुर दिनांक 07.12.2018।

---00---

उपरोक्त विषयांर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है, कि न्यायालय अपर कलेक्टर (ग्रामीण) के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ–19(3)/2017–18, संशोधित आदेश क्रमांक/3717/प्र.वा.अ. कलेक्टर/2018 जबलपुर दिनांक 07.12.2018 के द्वारा छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण से प्रभावित वन भूमि के एवज में ग्राम किवलारी की भूमि ख.नं. 175, 249 रकवा क्रमशः 31.16, 40.97 हे. भूमि कुल रकवा 72.13 हे. भूमि वनीकरण हेतु आवंटित की गई थी। जिसके आधार पर सीमांकन दल गठित किया जाकर दिनांक 22.11.2019 को सीमांकन किया गया जिसमें वन विभाग, जल संसाधन विभाग उपस्थित रहे। सीमांकन दल द्वारा ख.नं. 175 का रकवा 31.16 हे. तथा ख.नं. 249 का रकवा 40.97 हे. भूमि चिन्हाकित की जाकर संयुक्त रूप से वन विभाग/जल संसाधन विभाग को अवगत कराया गया। किन्तु वन विभाग द्वारा जब के.एम.एस. फाईल बनाई गई तो ख.नं. 249 की भूमि कम पाई गई उक्त तथ्य से इस कार्यालय को अवगत कराया गया। जिसके आधार पर पुनः सीमांकन दल गठित किया जाकर दिनांक 06.06.2020 को सीमांकन कार्य संयुक्त रूप से वन/जल संसाधन विभाग के साथ ख.नं. 249 के रकवा 40.97 को पुनः सीमांकित टी.एस.एम./ जरीब द्वारा किया गया। एवं वन विभाग द्वारा के.एम.एल. फाईल तैयार की गई तथा रकवा बरारी की जो दर्ज रकवा 40.97 हे. में से 40.00 हे. पाई गई। सीमांकित भूमि ख.नं. 249 में लगी शासकीय भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण किवलारी (कैम्पा) राजस्व ख.नं. 180 रकवा 71.66 हे. मद बड़े झाड़ का जंगल की तार फेसिंग ख.नं. 249 के अंदर तथा राजस्व ख.नं. 180 व 249

के बीच स्थित निजी भूमि ख.नं. 181, 182 व 184 जिनके दर्ज रकवा क्रमशः 0.43 हे., 1.60 हे., 1.12 हे. में से ख.नं. 181 का सम्पूर्ण भाग ख.नं. 182 का 0.50 हे. व 184 का 0.10 हे. रकवा तथा खसरा नं. 249 का 4.00 हे. रकवा ख.नं. 180 की तार फेसिंग के अंदर का रहा है। तो कि पूर्व से वैकल्पिक वृक्षारोपण किवलारी (कैम्पा) वन विभाग की तार फेसिंग के अंदर है।

अतः वर्तमान में छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना को ग्राम किवलारी की भूमि ख.नं. 175, 249 रकवा क्रमशः 31.16, 40.97 हे. भूमि कुल योग 72.13 हे. भूमि का कब्जा सौपा गया।

संलग्न :— प्रतिवेदन, पंचनामा, नक्शा, कब्जा पंचनामा
एवं अन्य सुसंगत दस्तोवज

तहसीलदार
कुण्डम

क्र. /196/प्रवा./तह./2020 कुण्डम दिनांक— 10/06/2020

प्रतिलिपि :—

1. श्रीमान् कलेक्टर महोदय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय (ग्रामीण) जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमान् कार्यपालन यंत्री छीताखुदरी जल संसाधन संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुण्डम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (सा.) सिहोरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी छीताखुदरी जल संसाधन विभाग कुण्डम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. राजस्व निरीक्षक/हल्का पटवारी की ओर भेजकर लेख है, कि उक्त आवंटित भूमि को राजस्व रिकार्ड से पृथक कर नक्शा/खसरा संशोधित कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

तहसीलदार
कुण्डम

(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M.P.)

**कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल जबलपुर–482001**
फोन : 91-761-2624195 (कार्या.), Email: dfotjbp@mp.gov.in

क0/डी0एम0/ 6474 जबलपुर दिनांक 09/12/2020

**प्रति,**

**कार्यपालन यंत्री,**
**हिरन जल संसाधन संभाग,**
**जबलपुर**

**विषय :-** जिला मण्डला एवं जिला जबलपुर के अन्तर्गत छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 69.555 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

**संदर्भ :-** 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक 8-76/2018-FC date 23/05/2019.
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष भू– प्रबंध सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र कमांक/ एफ–3/ 79/ 83/ 2016–17/ 10–11/ 9 / 2122 दिनांक 08/07/2020
3. कार्यलयीन पत्र कमांक/डी.एम./1719 दिनांक 01.07.2020.

–::–

विषयान्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक 8-76/2018-FC date 23/05/2019 से सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

पूर्व में कार्यलयीन पत्र दिनांक 01.07.2020 से लेख किया गया है कि भारत शासन द्वारा अध्यारोपित की गई शर्त के अनुसार गैर वन भूमि के सीमांकन एवं फैंसिंग /मुनारा निर्माण आवेदक संस्थान द्वारा किये जाने के उपरांत गैर वन भूमि आधिपत्य में ली जाना है। अतः वृक्षारोपण में फेंसिंग व्यय राशि 32,56,320/– नहीं ली जा रही है। यह राशि इस मांग पत्र में सम्मिलित है।

इस अनुकम में छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के बदले में क्षतिपूर्ति असिंचित मिश्रित वृक्षारोपण ग्राम किवलारी, खसरा नं0 175 रकवा 33.00 हेक्टेयर ~~एवं~~ में चैनलिंक फैंसिंग की राशि रूपये 35,56,670/– के प्रस्ताव की तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक मध्य वन वृत्त जबलपुर द्वारा पत्र कमांक/व्यय/182 दिनांक 08/12/2020 से दी गई है।

उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराई गई गैर वन भूमि के फैंसिंग एवं मुनारा निर्माण हेतु निम्नानुसार मॉग पत्र जारी किया जाता है :–

| योजना का नाम | परिक्षेत्र | ग्राम | खसरा कमांक | रकवा हे0 में | राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना | कुण्डम | केवलारी | 175 | 33.00 | 35,56,670/– |
| | कुण्डम | केवलारी | 249 | 40.00 | 32,56,320/– |
| | | | | | 68,12,990/– |

प्रधान मुख्य वन संरक्षक कक्ष भू– प्रबंध सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ–3 / 79 / 83 / 2016--17 / 10–11 / 9 / 2122 दिनांक 08 / 07 / 2020 से प्राप्त निर्देशानुसार फैंसिंग कार्य के लिए आवश्यक राशि का हस्तांतरण बी.सी.ओ. क्रमांक 1003 में किये जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

**वन मंडल अधिकारी**
सामान्य वन मंडल जबलपुर
जबलपुर दिनांक 09/12/2020

पृ. क0 / डी0एम0 / 6475

**प्रतिलिपि :-** 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक मध्य वन वृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. उपवनमण्डलाधिकारी सिहोरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी कुण्डम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

**वन मंडल अधिकारी**
सामान्य वन मंडल जबलपुर
09/12/2020

(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

क्रमांक 4211 / 28 / 2013–14
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन
तुलसी नगर भोपाल – 462 003
दूरभाष 2552646, 2552476, फैक्स 2552406
Email ID:- eocwrbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी, 2021

## // आदेश //

वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग (बीसीओ 1902) को कुण्डालिया एवं मा रतनगढ़ परियोजना से संबंधित कार्य तथा जिला जबलपुर के छीताखुदरी मध्यम परियोजना के अंतर्गत वनभूमि की फेंसिंग से संबंधित कार्य हेतु कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल (बीसीओ 1003) को निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाती है –

(राशि लाख में)

| क्र. | लेखाशीर्ष | योजना का नाम | कार्य का नाम | BCO क्रमांक एवं जिसमें राशि दी जा रही है (पूर्व में जारी) | BCO क्रमांक एवं जिसमें राशि दी जा रही है (अब जारी) | BCO क्रमांक एवं राशि जिसको राशि जारी की जा रही है (कुल जारी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 023-4700-84-800-1201-2884-64-001 | कुण्डालिया परियोजना | नलखेड़ा छावीहेड़ा मार्ग के कि.मी. 7/8 पर मालन नदी पर पुल का निर्माण | 3102 प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल रू. 200.00 लाख | 3102 प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल रू. 200.00 लाख | 1902प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, भोपाल रू. 400.00 लाख |
| 2 | 023-4700-C3-800-0101-289-64-001 | मा. रतनगढ़ परि | रतनगढ़ बसई मालिक मार्ग में सिंध नदी पर पुराने पुल के समानान्तर नये पुल का निर्माण | 3102 प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल रू. 0.00 लाख | 3102 प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल रू. 200.00 लाख | 1902प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, भोपाल रू. 200.00 लाख |
| 3 | 023-4701-76-800-0101-2884-64-001 | छीताखुदरी मध्यम परि. | छीताखुदरी परि. के निर्माण हेतु 73 हेक्टेयर वैकल्पिक भूमारोपण हेतु गैर वनभूमि की फेंसिंग हेतु राशि | 3102 प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल रू. 0.00 लाख | 3102 प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल रू. 68.13 लाख | 1003 प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल रू. 68.13 लाख (68.13 लाख) |

(68.13 लाख)

8.1.21
(मदन सिंह डाबर)
प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 4211 / 28 / 2013–14
भोपाल दिनांक 8 / 01 / 2021

प्रतिलिपि :

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, भोपाल ।
4. मुख्य वन संरक्षक (क्षे.) जबलपुर वृत्त, जबलपुर म0प्र0 ।
5. प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
6. प्रमुख अभियंता म0प्र0 लोक निर्माण विभाग, अरेरा हिल्स भोपाल ।
7. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल जबलपुर म0प्र0 ।
8. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग उज्जैन एवं ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।
9. कार्यपालन यंत्री हिरन ज.सं.स. जबलपुर ।
10. उपवनमण्डलाधिकारी सिहोरा, जिला मण्डला ।
11. वेब मैनेजर, एम.एण्ड ई कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल । जारी आदेश विभाग के वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु ।

8.1.21
(मदन सिंह डाबर)
प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग

Letter_20_21

(Ram S. Sharma)
Executive Engineer,
Division
Jabalpur (M.P.)

Water Resource Deptt
Jal Sansadhan Bhavan Tulasi Nagar
Bhopal Tulasi Nagar BHOPAL
Bhopal
Madhya Pradesh 462001

# BCO to BCO Allotment Report

## Report Run Date: 13/01/2021 18:42:32

From Date: 13/01/2021 To Date: 13/01/2021

Allotment Type: Treasury Logged In User: Mr MADAN SINGH DAWAR(Engineer-in-Chief)

Server Name: DCDBSRV3 Managed: 2 Report Generated Time: 13/01/2021 18:39:51

**(In Rupees)**

| BCO Code | Allotment Id | Allotment Date | Head of Account | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1003 - Principal Chief Conservator of Forest (Budget and account Nonplan) | 2000879592 | 13/01/2021 | 023-4701-76-800-0101-2884-00000000-64-001 | 68,12,990 | Sanctioned |
| Grand Total | | | | 68,12,990 | |

[1003 - Principal Chief Conservator of Forest] (Budget & Account - Nonplan) [2000879592] [13/01/2021] [023-4701-800-0101-2884-00000000-64-001] (Rs 68,12,990.00)

(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M.P.)

Annexure - 4(i)

# कार्यालय तहसीलदार कुण्डम जिला जबलपुर(म.प्र.)

क्रमांक / /प्रवा./तह./2020 कुण्डम दिनांक– 10/06/2020

**प्रति,**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कुण्डम जिला जबलपुर,

**विषय** :– वन परिक्षेत्र कुण्डम के अंतर्गत छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के डुब क्षेत्र में आने वाली 69.555 हे. वन भूमि के एवज में ग्राम किवलारी प.ह.नं. 18 स्थित भूमि ख.नं. 175 रकवा 31.16 हे. एवं ख.नं. 249 रकवा 40.97 का सीमांकन उपरांत कब्जा सौपने बावद्।

**संदर्भ** :– न्यायालय अपर कलेक्टर (ग्रामीण) के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ–19(3)/2017–18, संशोधित आदेश क्रमांक/3717/प्र.वा.अ. कलेक्टर/2018 जबलपुर दिनांक 07.12.2018।

---00---

उपरोक्त विषयांर्गत एवं संदर्भित पत्र के संबंध में लेख है, कि न्यायालय अपर कलेक्टर (ग्रामीण) के राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/अ–19(3)/2017–18, संशोधित आदेश क्रमांक/3717/प्र.वा.अ. कलेक्टर/2018 जबलपुर दिनांक 07.12.2018 के द्वारा छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण से प्रभावित वन भूमि के एवज में ग्राम किवलारी की भूमि ख.नं. 175, 249 रकवा क्रमशः 31.16, 40.97 हे. भूमि कुल रकवा 72.13 हे. भूमि वनीकरण हेतु आवंटित की गई थी। जिसके आधार पर सीमांकन दल गठित किया जाकर दिनांक 22.11.2019 को सीमांकन किया गया जिसमें वन विभाग, जल संसाधन विभाग उपस्थित रहे। सीमांकन दल द्वारा ख.नं. 175 का रकवा 31.16 हे. तथा ख.नं. 249 का रकवा 40.97 हे. भूमि चिन्हाकित की जाकर संयुक्त रूप से वन विभाग/जल संसाधन विभाग को अवगत कराया गया। किन्तु वन विभाग द्वारा जब के.एम.एस. फाईल बनाई गई तो ख.नं. 249 की भूमि कम पाई गई उक्त तथ्य से इस कार्यालय को अवगत कराया गया। जिसके आधार पर पुनः सीमांकन दल गठित किया जाकर दिनांक 06.06.2020 को सीमांकन कार्य संयुक्त रूप से वन/जल संसाधन विभाग के साथ ख.नं. 249 के रकवा 40.97 को पुनः सीमांकित टी.एस.एम./ जरीब द्वारा किया गया। एवं वन विभाग द्वारा के.एम.एल. फाईल तैयार की गई तथा रकवा बरारी की जो दर्ज रकवा 40.97 हे. में से 40.00 हे. पाई गई। सीमांकित भूमि ख.नं. 249 में लगी शासकीय भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण किवलारी (कैम्पा) राजस्व ख.नं. 180 रकवा 71.66 हे. मद बड़े झाड़ का जंगल की तार फेसिंग ख.नं. 249 के अंदर तथा राजस्व ख.नं. 180 व 249

के बीच स्थित निजी भूमि ख.नं. 181, 182 व 184 जिनके दर्ज रकवा क्रमशः 0.43 हे., 1.80 हे., 1.12 हे. मे से ख.नं. 181 का सम्पूर्ण भाग ख.नं. 182 का 0.50 हे. व 184 का 0.10 हे. रकवा तथा खसरा नं. 249 का 4.00 हे. रकवा ख.नं. 180 की तार फेसिंग के अंदर का रहा है। तो कि पूर्व से वैकल्पिक वृक्षारोपण किवलारी (कैम्पा) वन विभाग की तार फेसिंग के अंदर है।

अतः वर्तमान में छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना को ग्राम किवलारी की भूमि ख.नं. 175, 249 रकवा क्रमशः 31.16, 40.97 हे. भूमि कुल योग 72.13 हे. भूमि का कब्जा सौपा गया।

संलग्न :— प्रतिवेदन, पंचनामा, नक्शा, कब्जा पंचनामा
एवं अन्य सुसंगत दस्तोवज

तहसीलदार
कुण्डम

पृ.क्र. /196 / प्रवा. / तह. / 2020 कुण्डम दिनांक— 10 / 06 / 2020

प्रतिलिपि :—

1. श्रीमान् कलेक्टर महोदय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय (ग्रामीण) जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्रीमान् कार्यपालन यंत्री छीताखुदरी जल संसाधन संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कुण्डम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी (सा.) सिहोरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी छीताखुदरी जल संसाधन विभाग कुण्डम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. राजस्व निरीक्षक / हल्का पटवारी की ओर भेजकर लेख है, कि उक्त आवंटित भूमि को राजस्व रिकार्ड से पृथक कर नक्शा / खसरा संशोधित कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

तहसीलदार
कुण्डम

(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division

Annexure - 4 (II)

न्यायालय कलेक्टर जबलपुर

न्यायालय अपर कलेक्टर (ग्रामीण) का राजस्व प्रकरण क्र./01/अ-19(3)/2017-18

संशोधित आदेश

पारित आदेश दिनांक. 3/12/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर द्वारा पत्र क्र. क्यू. दिनांक 03.10.2017 प्रेषित कर जबलपुर जिला अंतर्गत विकास खण्ड कुण्डम में प्रस्तावित छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना में आने वाली वन भूमि 69.55 हे. के बदले ग्राम किवलारी प.ह.नं.18 स्थित खसरा नं.175 रकवा 31.16 हे., खसरा नं. 249 रकवा 40.97 हे. एवं हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना हेतु ग्राम तौरी पटवारी हल्का नं.8 ख.नं.1 रकवा 79.54 हे. भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरण किये जाने की मांग की गई है।

भूमि हस्तांतरण के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी, कुण्डम ने अपना प्रतिवेदन दिनांक 12.10.2017 तहसीलदार कुण्डम के प्रतिवेदन दिनांक 12.10.2017 से सहमत होते हुए प्रेषित किया है। तहसीलदार कुण्डम ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार का प्रकाशन किया गया। जिसमें किसी भी व्यक्ति एवं संस्था द्वारा आपत्ति पेश नहीं की गई। तहसीलदार द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम किवलारी स्थित भूमि खसरा नं.175, 249 रकवा क्रमशः 31.16, 40.97 हे. मद शासकीय बड़े झाड़ का जंगल चराई एवं इमारती लकड़ी के लये दर्ज है एवं ग्राम तौरी स्थित खसरा नं.1 रकवा 79.54 हे. भूमि मद शासकीय हस्तांतरित किया जाना उचित होगा। संयुक्त रूप से वन विभाग, राजस्व विभाग एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में मौका निरीक्षण किया गया। संयुक्त मौका निरीक्षण में समस्त विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम किवलारी प.ह.नं. 18 स्थित भूमि खसरा नं.175, 249 रकवा क्रमशः 31.16, 40.97 हे. एवं ग्राम तौरी स्थित खसरा नं.1 रकवा 79.54 हे. भूमि कुल रकवा 151.67 हे. वनीकरण एवं हस्तांतरण हेतु उपयुक्त पाई गई।

अतः अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड चार क्र.1 कंडिका 36 के अनुसार ग्राम किवलारी प.ह.नं.18 स्थित खसरा नं.175 रकवा 31.16 हे. खसरा नं. 249 रकवा 40.97 हे. एवं ग्राम तौरी पटवारी हल्का नं.8 खसरा नं.1 रकवा 79.54 हे. कुल रकवा 151.67 हे. में से 139.10 हे. भूमि वन विभाग को छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना एवं हिरन मध्यम सिंचाई परियोजना के एवज में म.प्र. शासन, वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु निःशुल्क व सशर्त हस्तांतरित की जाती है :-

1. भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं होगा अथवा अनाधिकृत कब्जेदार मानकर भूमि शासन में निहित कर ली जावेगी।

2. शासन के प्रतिनिधि, अधिकृत व्यक्ति तथा जिला कलेक्टर व उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को भूमि के सही उपयोग तथा शर्तों के पालन का परीक्षण करने के लिये कभी भी भूमि तथा उस पर निर्मित परिसर के निरीक्षण का अधिकार होगा।

(छवि भारद्वाज)
कलेक्टर, जबलपुर

पृ.क्र. 8717 / प्रवाअ.कले–..../2018 जबलपुर दिनांक 7-12-18

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर।
4. अनुविभागीय अधिकारी, कुण्डम को सूचनार्थ।
5. कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर की ओर उनके पत्र क्र.क्यू. दिनांक 03.10.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
6. तहसीलदार कुण्डम को सूचनार्थ उपरोक्त आवंटित भूमि का खसरा पांच साला एवं नक्शे की प्रति 1 सप्ताह की समय सीमा में इस न्यायालय को उपलब्ध कराये ताकि प्रकरण नस्तीबद्ध किया जा सके।
7. प्रवाचक कलेक्टर, न्यायालय जबलपुर को सूचनार्थ।
8. प्रवाचक, अपर कलेक्टर, प्रथम/द्वितीय जबलपुर को अतिरिक्त प्रति सहित सूचनार्थ।

(छवि भारद्वाज)
कलेक्टर, जबलपुर

(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

Annexure - 5

# कार्यालय कार्यपालन यंत्री,
# हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर (म.प्र.)

E-Mail :- eehiranwrd09@yahoo.in (Ph:-0761-2602441)

पत्र क्र. 2596 /व.ले.लि./2020 जबलपुर दिनांक 19/10/2020

प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल
जबलपुर

विषय:- जिला मण्डला एवं जिला जबलपुर के अंतर्गत छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 69.555 हेक्टेयर वन भूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ:- 1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) भोपाल का पृ.क्र./एफ-3/79/2016/10-11/9/2734 दिनांक 27-08-2020

2- इस कार्यालय का पत्र क्र. 2137/कार्य/2020 दिनांक 01/09/2020

----00----

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा सूचित की गई राशि का दिनांक 28/09/2020 को चालान जनरेट कर ई-पैमेंट के माध्यम से चैक क्र. E549069 दिनांक 01/10/2020 द्वारा राशि रू. 40095000/- का भुगतान किया गया है। जिसका कि UTR No. SBIN120275572591 है।

जनरेटेड चालान की तीन प्रतियाँ संलग्न की जा रही है। अतः कृपया शीघ्र अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सहपत्र:- चालान तीन प्रतियों में।

(राम सलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री,
हिरन जल संसाधन संभाग,
जबलपुर (म.प्र.)
19.10.2020

पृ. क्र. 2596 /व.ले.लि./2020 जबलपुर दिनांक 19/10/2020

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता , बैन गंगा कछार जल संसाधन विभाग सिवनी की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल जबलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी, गेहगांवटोला शीर्ष कार्य जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र:- शून्य।

(राम सलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री,
हिरन जल संसाधन संभाग,
जबलपुर (म.प्र.)
19.10.2020

AGENCY COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 28-09-2020

| | |
|---|---|
| Agency Name. | WATER RESOURCES DEPARTMENT |
| Application No. | 5729684529 |
| MoEF/SG File No. | 8-76/2018-FC |
| Location. | MADHYA PRADESH |
| Address. | Executive Engineer Hiran Water Resources Division JabalpurJabalpur |
| Amount(in Rs) | 40095000/- |

Amount In Words :Four Crore Ninety-Five Thousand Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | MADHYA PRADESH CAMPA |
| IFSC Code: | CORP0000371 |
| Pay to Account No. | 150765729684529 Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 28-09-2020

| | |
|---|---|
| Agency Name. | WATER RESOURCES DEPARTMENT |
| Application No. | 5729684529 |
| MoEF/SG File No. | 8-76/2018-FC |
| Location. | MADHYA PRADESH |
| Address: | Executive Engineer Hiran Water Resources Division Jabalpur Jabalpur |
| Amount(in Rs) | 40095000/- |

Amount In Words :Four Crore Ninety-Five Thousand Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

| | |
|---|---|
| Beneficiary Name: | MADHYA PRADESH CAMPA |
| IFSC Code: | CORP0000371 |
| Pay to Account No. | 150765729684529 Valid only for this challan amount. |
| Bank Name & Address: | Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003 |

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

UTR No :- SBIN 12027555 72591

(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Divis
Jabalpur (M.P.)

# Annexure - 6

निर्यात के लिए नहीं NOT FOR EXPORT

OPEN SERIES MAP

## No. F44C4

Scale 1:50,000

| | | |
|---|---|---|
| F44B15 (55M/15) | F44C3 (64A/3) | Katni MADHYA PRADESH F44C7 (64A/7) |
| F44B16 (55M/16) | Jabalpur MADHYA PRADESH F44C4 (64A/4) | F44C8 (64A/8) |
| F44H13 (55N/13) 3 Seoni MADHYA PRADESH | Mandla MADHYA PRADESH F44I1 (64B/1) | F44I5 (64B/5) |

1 Damoh, MADHYA PRADESH.
2 Dindori, MADHYA PRADESH.

भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA

1st Edition 2010.

₹ 300/- (तीन सौ रुपये मात्र)

CONVENTIONAL SYMBOLS

Annexure - 4 (ii)

REFERENCES

NH 12A National Highway No. 12A. Chy Chimney.

NOTES :-

Heights are in metres and above Indian mean sea level.
Contours are approximate.
A relative height, e.g., :3: represents the approximate height, in metres, between the top and bottom of a steep slope.
The triangulated heights and contours in this sheet have not been adjusted to the heights of the spirit-levelled bench-marks and may not be strictly in accordance with them.

COMPILATION INDEX

A. Surveyed during 1968-69. Updated for major details during 2005-06.

Projection – UTM Datum – WGS 84

Magnetic Variation from True North about ½° West in 2005.
Decreasing by about 1' annually.

1:50,000

500 m to 1 cm 2 cm to 1 km

Metres 1000 500 0 1 2 3 Kilometres

CONTOUR INTERVAL 20 METRES

For further details about this map, please contact
Director
Madhya Pradesh Geo-Spatial Data Centre
Survey of India
Survey Colony, Vijaynagar
Jabalpur.

WEBSITE – www.surveyofindia.gov.in

Reproduction in whole or part by any means is prohibited without the written permission of Survey of India, the National Mapping Agency.

© GOVERNMENT OF INDIA COPYRIGHT, 2010.

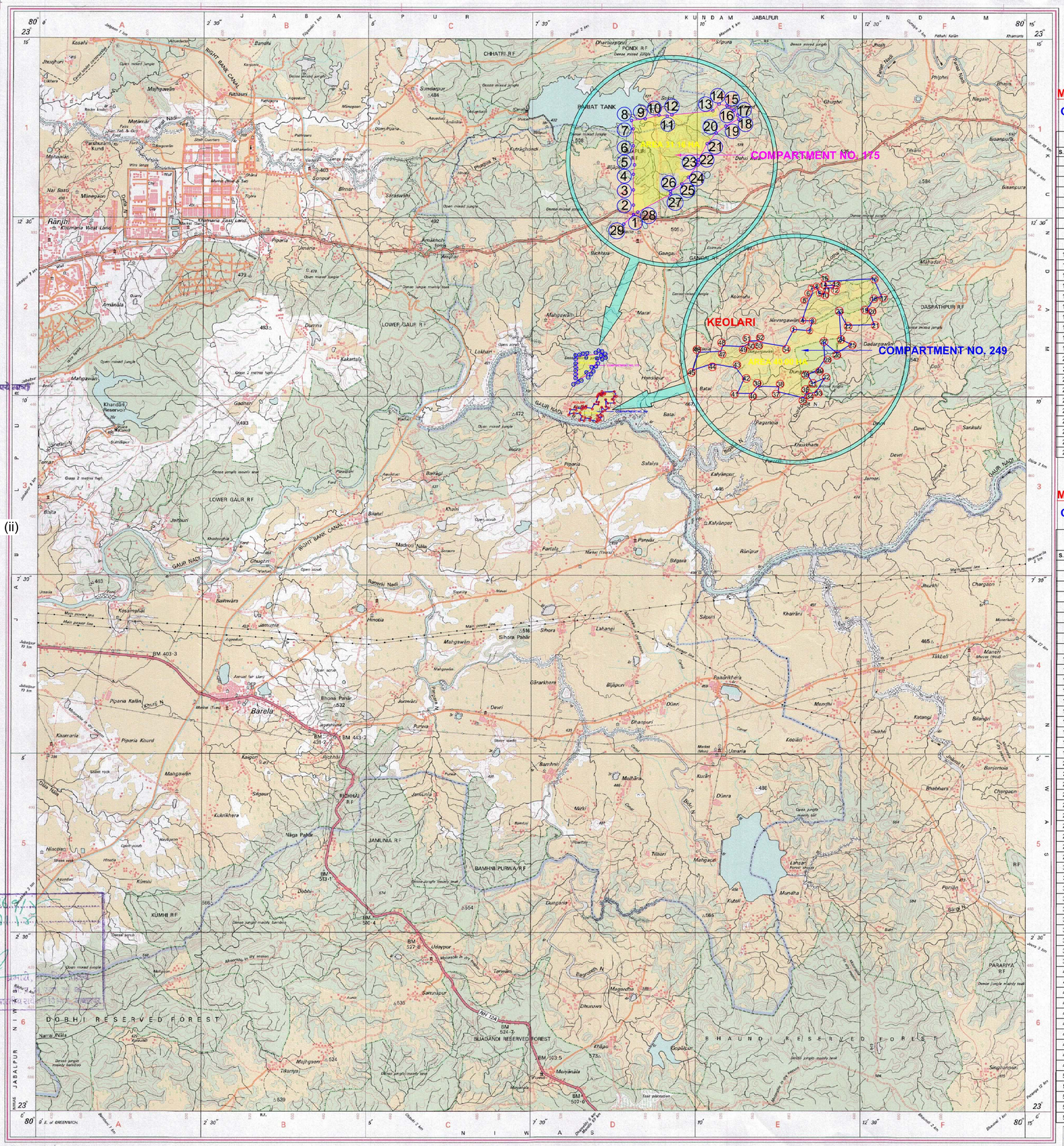


REG. No. -SPG 010 (Madhya Pradesh GDC-1:50,000)-

भारत के महासर्वेक्षक, स्वर्ण सुबा राव, बी.ई., के निदेश में प्रकाशित,
*Published under the direction of* Swarna Subba Rao, B.E., *Surveyor General of India,*
Survey of India, Hathibarkala Estate, Post Box No. 37, Dehra Dun – 248001 (Uttarakhand),
Department of Science & Technology, Government of India.

PRINTED AT THE SOUTHERN PRINTING GROUP OF SURVEY OF INDIA.

## CHHITAKHUDARI MEDIUM TANK PROJECT

### GEO REFFRANCE MAP

CO- ORDINATE DETAILS

GPS READING OF KEOLARI VILLAGE (KHASRA NO. 175)

| S.NO. | LATITUDE | LONGITUDE |
|---|---|---|
| 1 | 23°10'18.42" | 80°08'15.71" |
| 2 | 23°10'20.29" | 80°08'15.78" |
| 3 | 23°10'23.36" | 80°08'15.82" |
| 4 | 23°10'26.64" | 80°08'15.95" |
| 5 | 23°10'28.52" | 80°08'16.18" |
| 6 | 23°10'33.08" | 80°08'15.81" |
| 7 | 23°10'37.99" | 80°08'15.61" |
| 8 | 23°10'40.26" | 80°08'15.15" |
| 9 | 23°10'40.25" | 80°08'18.52" |
| 10 | 23°10'40.62" | 80°08'21.81" |
| 11 | 23°10'39.88" | 80°08'23.79" |
| 12 | 23°10'40.21" | 80°08'24.86" |
| 13 | 23°10'39.61" | 80°08'34.91" |
| 14 | 23°10'41.40" | 80°08'36.52" |
| 15 | 23°10'40.53" | 80°08'38.45" |
| 16 | 23°10'39.08" | 80°08'39.99" |
| 17 | 23°10'37.25" | 80°08'40.61" |
| 18 | 23°10'36.66" | 80°08'40.67" |
| 19 | 23°10'35.35" | 80°08'37.39" |
| 20 | 23°10'33.79" | 80°08'34.91" |
| 21 | 23°10'31.71" | 80°08'32.61" |
| 22 | 23°10'27.93" | 80°08'30.33" |
| 23 | 23°10'27.02" | 80°08'30.00" |
| 24 | 23°10'24.50" | 80°08'27.64" |
| 25 | 23°10'23.34" | 80°08'26.21" |
| 26 | 23°10'21.76" | 80°08'23.32" |
| 27 | 23°10'21.54" | 80°08'23.83" |
| 28 | 23°10'18.87" | 80°08'16.64" |
| 29 | 23°10'16.91" | 80°08'13.70" |

## CHHITAKHUDARI MEDIUM TANK PROJECT

### GEO REFFRANCE MAP

CO- ORDINATE DETAILS

GPS READING OF KEOLARI VILLAGE (KHASRA NO. 249)

| S.NO. | LATITUDE | LONGITUDE |
|---|---|---|
| 1 | 23°09'52.69" | 80°08'27.41" |
| 2 | 23°09'52.28" | 80°08'31.13" |
| 3 | 23°09'55.26" | 80°08'31.64" |
| 4 | 23°09'55.00" | 80°08'29.57" |
| 5 | 23°10'01.09" | 80°08'30.83" |
| 6 | 23°10'03.37" | 80°08'31.844" |
| 7 | 23°10'04.557" | 80°08'31.70" |
| 8 | 23°10'05.276" | 80°08'32.707" |
| 9 | 23°10'03.272" | 80°08'33.442" |
| 10 | 23°10'03.11" | 80°08'34.51" |
| 11 | 23°10'04.827" | 80°08'35.062" |
| 12 | 23°10'05.026" | 80°08'37.087" |
| 13 | 23°10'05.764" | 80°08'36.933" |
| 14 | 23°10'05.661" | 80°08'34.634" |
| 15 | 23°10'06.83" | 80°08'34.721" |
| 16 | 23°10'08.232" | 80°08'47.695" |
| 17 | 23°10'02.54" | 80°08'48.86" |
| 18 | 23°10'01.86" | 80°08'46.84" |
| 19 | 23°09'58.56" | 80°08'44.54" |
| 20 | 23°09'58.17" | 80°08'45.19" |
| 21 | 23°09'54.32" | 80°08'45.86" |
| 22 | 23°09'54.07" | 80°08'39.48" |
| 23 | 23°09'57.97" | 80°08'38.02" |
| 24 | 23°09'50.22" | 80°08'37.92" |
| 25 | 23°09'49.11" | 80°08'40.11" |
| 26 | 23°09'47.01" | 80°08'36.89" |
| 27 | 23°09'49.60" | 80°08'34.08" |
| 28 | 23°09'45.49" | 80°08'34.16" |
| 29 | 23°09'43.36" | 80°08'32.76" |
| 30 | 23°09'42.13" | 80°08'30.67" |
| 31 | 23°09'40.39" | 80°08'31.74" |
| 32 | 23°09'41.53" | 80°08'34.01" |
| 33 | 23°09'38.71" | 80°08'32.34" |
| 34 | 23°09'38.41" | 80°08'30.74" |
| 35 | 23°09'38.65" | 80°08'30.53" |
| 36 | 23°09'37.59" | 80°08'29.92" |
| 37 | 23°09'38.75" | 80°08'24.90" |
| 38 | 23°09'39.78" | 80°08'25.09" |
| 39 | 23°09'39.90" | 80°08'20.79" |
| 40 | 23°09'38.471" | 80°08'19.777" |
| 41 | 23°09'38.481" | 80°08'17.03" |
| 42 | 23°09'41.32" | 80°08'17.90" |
| 43 | 23°09'43.62" | 80°08'15.91" |
| 44 | 23°09'44.56" | 80°08'10.80" |
| 45 | 23°09'43.29" | 80°08'07.03" |
| 46 | 23°09'47.11" | 80°08'07.31" |
| 47 | 23°09'47.18" | 80°08'12.10" |
| 48 | 23°09'48.69" | 80°08'12.32" |
| 49 | 23°09'48.28" | 80°08'16.64" |
| 50 | 23°09'49.06" | 80°08'17.76" |
| 51 | 23°09'49.804" | 80°08'17.61" |
| 52 | 23°09'49.776" | 80°08'19.833" |
| 53 | 23°09'49.45" | 80°08'20.11" |
| 54 | 23°09'48.39" | 80°08'25.76" |

INDEX

COMPARTMENT NO. 249 — AREA 10.80 HA — 0
TOPO SHEET No. — M A 4 — POINT P1 – 54
BLOCK & TEHSIL — KUNDAM — DISTRICT — JABALPUR

(A. S. SAKUNAL) (M. K. MUDIYA)
SUB ENGINEER

(L. P. MELKO)
SUB DIVISIONAL OFFICER
MEHGAON TOLA NW
SUB DIV.JABALPUR

(S. K. SHARMA)
EX.EXCUTIVE ENGINEER
HI REJAI NW & DIVISION
JABALPUR

Annexure - 7

कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर

Email ee.wrdn.jbp@mp.gov. in.(Ph/Fax No. 0761-2602441)

पत्र क्र. /कार्य/2020 जबलपुर दिनांक /2020

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी,
सामान्य वन मण्डल
जबलपुर

विषयः– छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के स्टेज–2 की स्वीकृति विषयक।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्र क्र. 1623/व.ले.लि./2020 दिनांक 10.07.2020

------00------

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के स्टेज–2 की स्वीकृति हेतु आवश्यक प्राथमिक शर्तों को पूर्ण किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

प्रकरण का रजिस्ट्रेशन कमांक – FP/MP/IRRIG/29684/2017 Dated 21.10.2017

| Total Forest | District and Area of Forest | NPV & CA Amount | UTR No. |
|---|---|---|---|
| 69.555 Ha. | (1) Mandla (64.135) Ha. | 28091130/- | SBIN119234702614 |
| | (2) Jabalpur (5.42) Ha. | 25966120/- | SBIN120189185511 |

अतः अनुरोध है, कि वन भूमि के ऐवज में प्रदाय की गई राजस्व भूमि के फेंसिंग कार्य हेतु मांग पत्र प्रदाय करने एवं स्टेज–2 की स्वीकृति हेतु प्रकिया प्रारंभ करने का कष्ट करें।

सहपत्रः–शून्य।

(राम सलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री,
हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर

1939A
पृ. क्र. /कार्य/2020 जबलपुर दिनांक 13/8/2020

प्रतिलिपिः–

1– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2– मुख्य अभियंता बैन गंगा कछार जल संसाधन विभाग सिवनी की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
3– मुख्य वन संरक्षक, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4– अधीक्षण यंत्री जल संसाधन मण्डल जबलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
5– वन मण्डलाधिकारी पश्चिम (सा.) वन मण्डल जिला मण्डला को इस कार्यालय के पत्र क्र. 2271/व.ले.लि./2019 दिनांक 28.08.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
6– अनुविभागीय अधिकारी मेहगावटोला शीर्ष कार्य उपसंभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्रः–शून्य।

(राम सलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री,

# Annexure - 8

## Condition - 10(B)

The additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ जल संसाधन विभाग अंतर्गत छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना, हिरण जल संसाधन संभाग, जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur

Annexure-9

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-11/2016/10-11/1025 भोपाल, दिनांक 11.5.2016

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश।
2. समस्त वन मंडल अधिकारी (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश।

विषयः-शासकीय विभागों की परियोजनाओं के लिये व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि के प्रभावित वृक्षों के पातन व्यय का वहन बावत्।

संदर्भः-म0प्र0 शासन, वन विभाग का पत्र क्र./एफ-25-13/2016/10-3, दि. 22.04.2016

--0--

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। शासकीय विभागों की परियोजनाओं के लिये व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि के प्रभावित वृक्षों के पातन व्यय के वहन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन के विभागों के लिए व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् व्यपवर्तित की गई वन भूमि में स्थित वृक्षों के पातन संबंधी कार्य वन विभाग अपने व्यय पर ही कराना सुनिश्चित करेगा, जिसमें वृक्षों के चिन्हांकन से लेकर काष्ठ परिवहन तक के समस्त कार्यों का व्यय शामिल होगा।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

6/5/16

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक

पृ0 क्रमांक/एफ-11/2016/10-11/

प्रतिलिपि-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. कक्ष प्रभारी, सिंचाई/विद्युत/विविध/खनिज, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ-25-13/2016/10-3, दिनांक 22.04.2016 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया पत्र में दर्शाये अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।
(अनुक्र. 1 से 5)

6/5/16

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
JABALPUR (M.P.)

D:\Section f-11.docx

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, 462004

क्रमांक / एफ--25-13 / 2016 / 10-3 भोपाल, दिनॉक 22 अप्रैल, 2016

प्रति,

समस्त वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय)
मध्यप्रदेश।

विषय :-- शासकीय विभागों की परियोजनाओं के लिये व्यपवर्तित होने वाले वन भूमि के प्रभावित वृक्षों के पातन व्यय का वहन बाबत।

—0—

वर्तमान में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि में स्थित वृक्षों का विदोहन व्यय का वहन संबंधित उपयोगकर्ता विभाग / संस्थान से लिया जाता है। चूँकि राज्य शासन के विभिन्न विभाग राज्य की संचित निधि से ही राशि प्राप्त करते है।

अतः राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि मध्यप्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के लिये व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात व्यपवर्तित की गई वन भूमि में स्थित वृक्षों के पातन संबंधी कार्य वन विभाग अपने व्यय पर ही कराना सुनिश्चित करेगा, जिसमें वृक्षों के चिन्हांकन से लेकर काष्ठ परिवहन तक के समस्त कार्यों का व्यय शामिल होगा।

(रमेश कुमार श्रीवास्तव)
सचिव,
म.प्र. शासन, वन विभाग

पृ०क्रमांक / एफ--25-13 / 2016 / 10-3 भोपाल, दिनॉक 22 अप्रैल, 2016

प्रतिलिपि:--

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन जल संसाधन / लोक निर्माण / वाणिज्य, उद्योग और रोजगार / पंचायत एवं ग्रामीण विकास / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी / नगरीय आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ।

सचिव,
म.प्र. शासन, वन विभाग

(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division

Annexure-10

# कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

## तकनीकी स्वीकृति आदेश

आदेश क्रं / एफ–3 / 83 / 2017 / 10–11 / 9 / 40 भोपाल, दिनांक 27-8-2020

भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत नई गाईड लाईन जो कि दिनांक 08.03.2019 से प्रभावशील होने के निर्देश एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0प्र0 भोपाल के आदेश क्रमांक / एफ–3 / 2019 / 10–11 / 03, दिनांक 31.05.2019 से प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 04.09.2019 को आयोजित की गयी। बैठक मे **छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना** के केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान का परीक्षण करने पर इसमे सुधार करने के निर्देश दिये गये।

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा प्रस्तुत संशोधित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान का पुनः दिनांक 06.02.2020 को समिति द्वारा परीक्षण करने पर यह पाया गया, कि केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान मे वृक्षारोपण / चारागाह विकास के कार्य प्रावधानित नही है। अतः इस संबंध मे केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान संशोधित करने के निर्देश कार्यालयीन पत्र क्रमांक / एफ–3 / 2020 / 10–11 / 501, दिनांक 07.02.2020 से कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर को दिये गये।

कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के द्वारा निर्देशों के पालन में पुनरीक्षित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान प्रस्तुत किया गया। दिनांक 27.08.2020 को पुनः बैठक आयोजित कर केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान का अवलोकन किया गया। प्रस्तावित पुनरीक्षित केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है :–

| क्र0 | कार्य का नाम | रकबा हेक्टे. में | राशि (रूपये में) |
|---|---|---|---|
| 1 | जल ग्रहण क्षेत्र उपचार | 3564.00 | 3,64,50,000 |
| | जल ग्रहण क्षेत्र में आ रहे ग्रामों के निवासियों के लिये सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों के लिये | | 36,45,000 |
| | योग– | 3564.00 | 4,00,95,000 |

राशि रूपये चार करोड़ पिन्चानवे हजार (जल ग्रहण क्षेत्र उपचार की राशि रू. 3,64,50,000 एवं जल ग्रहण क्षेत्र में आ रहे ग्रामों के निवासियों के लिये सामाजिक आर्थिक विकास कार्यों के लिये 10 प्रतिशत की राशि रू. 36,45,000 / –)

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन रहेंगी :–

1. कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर द्वारा प्रस्तुत प्राक्कलन के प्रस्तावों पर दी जाती है। यदि प्रस्तावों मे कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएं।
2. इस स्वीकृति के अधीन केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न किया जावें। कैम्पा कक्ष द्वारा दिये आवंटन के अनुसार ही कार्य कराया जावें।
3. इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है।

–2–

4. कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों क अनुसार कराया जावें। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
5. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान अंतर्गत कार्य हेतु स्थल उपयुक्तता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ही कार्य किया जावें।
6. केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखी जावें।
7. कोई भी सामग्री क्रय करते समय भण्डार क्रय नियम का पालन करें।
8. कार्य प्रांरभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी.पी.आर. तैयार कर कार्य प्रांरभ करावें।

27/8/2020
(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रं/एफ–3/83/2017/10–11/9/ 2735 भोपाल, दिनांक 27-8-2020

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा), सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, 1250, तुलसी नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) जबलपुर वृत्त, जबलपुर, मध्यप्रदेश।
5. वनमण्डलाधिकारी, सा0 वनमंडल जबलपुर/पश्चिम मण्डला, मध्यप्रदेश, की ओर उक्त केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की प्रति संलग्न है। इस परियोजना की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने पर इस कार्य के लिए राशि की मांग कैम्पा शाखा से करें।
6. कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्तानुसार केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान कार्य की राशि ई–पोर्टल पर कैम्पा मद मे जमा करें।

संलग्नः–अनुक्रमांक 4 एवं 5 के लिए केचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की प्रति।

27/8/2020
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3(Part-I).docx

# Annexure - 11

## Condition - 13

The State Government must ensure that the user agency shall implement the R&R plan as per the R&R Policy of State Government in consonance with National R&R Policy, Government of India before the commencement of the project work. The said R&R Plan will be monitored by the State Government / Regional Office of MoEF & CC along with indicators for monitoring and expected observable milestones.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ जल संसाधन विभाग अंतर्गत छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना, हिरण जल संसाधन संभाग, जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur

# Annexure - 12

## Condition - 14

The State Government shall maintain the character of the projects as an irrigation project and to ensure continued benefit to the farmers in the command area, no more diversion of water from the project for industrial projects will be permitted in future.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ जल संसाधन विभाग अंतर्गत छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना, हिरण जल संसाधन संभाग, जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur

Annexure-13-
(Mandla)

**FORM - II**

**Annexure II**

(For projects other than linear projects)

**Government of Madhya Pradesh**

**Office of the District Collector, Mandla (M.P.)**

No. 5210

Dated : 16/7/2018

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' - for short) on the forest land proposed to be diverted for, non - forest purpose. Read with MoEF letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 64.135 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Madhya Pradesh Water Resources Department for Construction of **Chhitakhudri Medium Tank Project** for irrigation purpose in Jabalpur District falls within jurisdiction of Chhitakhudri village in Kundam Tehsil.

It is further **certified that :**

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for entire **64.135** hectares forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub - Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to annexure II.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers, who eligible under FRA;

(c) The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities / process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Kharikhara, Jaldhara, Bhanpur Bisaura, Khamariya Tola & Garh Bisaura village(s) is enclosed as annexure(s).

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land of facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(f) The rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl : As above.

16/07/18

(सफिया खान वली)
District Collector
आई.ए.एस.
कलेक्टर मण्डला (म.प्र.)

जिला वन अधिकार समिति जिला मण्डला (म.प्र.)

(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

Annexure-
13(Jbp)

# कार्यालय कलेक्टर जिला जबलपुर मध्यप्रदेश

## संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जारी किए जाने वाला प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हिरण जल संसाधन संभाग जबलपुर के अंतर्गत छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील कुण्डम के बीट झिरिया के ग्राम बिलटुकरी, लुकामपुरटोला, छीताखुदरी, कुडेहरदुली, एवं मेनपठारी के कक्ष कमांक 356 एवं 357 की एफ0आर0ए0 से प्रभावित वनभूमि का कुल रकबा 5.42 हेक्टेयर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है, में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत व्यपवर्तन एवं अधिकारों के व्यवस्थापन की संपूर्ण प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है।

अभिलेखों के आधार पर यह पाया गया कि तहसील कुण्डम छीताखुदरी मध्यम परियोजना के बीट झिरिया के ग्राम बिलटुकरी, लुकामपुरटोला, छीताखुदरी, कुडेहरदुली, एवं मेनपठारी के कक्ष कमांक 356 एवं 357 की एफ0आर0ए0 से प्रभावित वनभूमि का कुल रकबा 5.42 हेक्टेयर वन भूमि पर उसके चारों ओर निवासरत किसी व्यक्ति या समुदाय के कोई भी दावे अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत लंबित अथवा अनिर्णित नहीं है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि व्यपवर्तन का उपरोक्त प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा जा चुका है। प्रस्ताव का विस्तृत विवरण तथा उसके प्रभावों की व्याख्या उन्हें स्थानीय भाषा में की जा चुकी है। अथवा/यह कि व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र पर किसी व्यक्ति या समुदाय का कोई दावा नहीं होने के कारण यह बिन्दु लागू नहीं है। (जो लागू नहीं हो उसे काट दें)। साथ ही जिले के अंतर्गत संपूर्ण आवेदित वनक्षेत्र 5.42 हेक्टेयर में किसी रहवास या राजस्व ग्राम की सीमा नहीं है। (यदि लागू हो तो)।

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्ताव पर चर्चा एवं निर्णय केवल तभी लिया गया जब ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों का न्यूनतम 50 प्रतिशत कोरम पूर्ण था। (यदि कंडिका 2 के प्रकाश में लागू हो)।

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3(1) (e) के अनुसार आदिम जनजाति समूहों और कृषि पूर्व समुदायों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया है।

5. यह प्रमाणित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रबंधित की जाने वाली सुविधाओं हेतु वन भूमि व्यपवर्तन की कार्यवाही (यदि कोई हो) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) की आवश्यकतानुसार पूरी की जा चुकी है तथा प्रभावित ग्राम सभाओं की इसमें सहमति है। अथवा कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है एवं पूर्ण की जावेगी (जो भी लागू हो)।

कलेक्टर
जिला जबलपुर
अध्यक्ष जिला स्तरीय
वन अधिकार समिति

(Ram.S.Sharma)
Executive Engineer,
Hiran Water Resources Division
Jabalpur (M. P.)

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग,जबलपुर
E-Mail :- cehiranwrd09@yahoo.in (Ph:-0761-2602441)

क्र. क / कार्य / छीताखुदरी / 2017--18

जबलपुर दिनांक 20/12/17

प्रति,
कलेक्टर,
जिला जबलपुर

विषय-- छीताखुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना के अतर्गत राजस्व / आरक्षित / संरक्षित / वन--भूमि के प्रस्ताव के लिये FRA प्रमाण पत्र जारी किये जाने बाबत्
( Recognition of Forest Rights Act. 2006)

संदर्भ 1 आपका पत्र क्र. 506 / वन अधि / आवि / 2016 जबलपुर दिनांक 01.06.2016
2 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू--प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्र एफ--3 / 83 / 2017 / 3433 दिनांक 20.11.2017

---0---

विषयांतर्गत लेख है कि महोदय के संदर्भित पत्र क्र. 01 द्वारा हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर के अतर्गत तहसील कुण्डम में छीताखुदरी मध्यम सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु बीड़ झिरिया के ग्राम बिल्टुकरी, लुकागपुरटोला, छीताखुदरी, कुडेहरदुली एवं मेनपठारी के कक्ष क्र. 356 एवं 357 में कुल प्रभावित वन भूमि 5.42 हैक्टेयर अर्जन होने वाली राजस्व / आरक्षित / संरक्षित / वन–भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव के लिये अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) के तहत आवश्यक समस्त कार्यवाही पूर्ण की जाकर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जबलपुर से सहमति होने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है ।

इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्र (संदर्भ क्र. 02) द्वारा भारत सरकार के निर्धारित प्रपत्र Form-II (for project other than linear projects) में FRA प्रमाण पत्र चाहा गया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयांतर्गत प्रकरण में जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र को पुनरीक्षित कर, भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्धारित प्रपत्र Form-II के अनुरूप FRA प्रमाण पत्र जारी करने की कृपा करें ।

सहपत्र-- 1 निर्धारित प्रारूप मे FRA प्रमाण पत्र
2 छाया प्रति (उपरोक्तानुसार)

(राम सलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री,
हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर

पृ. क्र./1250 / कार्य / छीताखुदरी / 2017--18 जबलपुर दिनांक 20/12/17

प्रतिलिपि:--

1 अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल जबलपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।

2 अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र.-3 कुण्डम जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(राम सलोने शर्मा)
कार्यपालन यंत्री,
हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर

सहपत्र - शून्य

# Annexure - 14

**Condition – 16**

No labour camp/huts shall be established on the forest land.

उपयोगकर्ता एजेंसी / जल संसाधन विभाग अंतर्गत छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना, हिरण जल संसाधन संभाग, जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur

# Annexure - 15

**Condition - 17**

The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal and under no circumstances be transferred to any other agency, department or person.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ जल संसाधन विभाग अंतर्गत छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना, हिरण जल संसाधन संभाग, जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur

# Annexure - 16

## Condition - 20

Any other condition that the concerned Regional Office of this Ministry may stipulate, from time to time, in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife, subject to approval of competent authority.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ जल संसाधन विभाग अंतर्गत छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना, हिरण जल संसाधन संभाग, जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur

# Annexure - 17

## Condition - 21

The user agency shall submit the annual self-compliance report in respect of the above conditions to the State Government, concerned Regional Office and this Ministry by the end of March of every year regularly.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ जल संसाधन विभाग अंतर्गत छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना, हिरण जल संसाधन संभाग, जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur

# Annexure - 18

## Condition - 22

The user agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Regulations, Guidelines, relevant Hon'ble Court Order (s) and National Green Tribunal (NGT) order (s), if any, pertaining to this project for the time being in force, as applicable to the project.

उपयोगकर्ता एजेंसी/ जल संसाधन विभाग अंतर्गत छीताखुद्री मध्यम सिंचाई परियोजना, हिरण जल संसाधन संभाग, जबलपुर उल्लेखित शर्त के पालन हेतु वचनबद्ध ।

Ram Salone Sharma
Executive Engineer
Hiran Water Resources Division
Jabalpur